

19¹²/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में कई बार आवाज लगाये
आये पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं
आये। पत्रावली अदम पैरवी, अदम राजरी में खासिज
की जाती है। पत्रावली केवल शुमार शेकर बाह
तरीब तकमील दायिम दफ्तर हो।

SA

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

